

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सख्या-3/पेन-01-58/2024-

/स्वा0, पटना, दिनांक

स्व0 (डा0) रविन्द्र नारायण, भुतपूर्व अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना का दिनांक 06 02 2007 से 31 01.2008 एवं 25 05.2013 से 23 06.2013 तक की अविनियमित अवधि को बिहार सेवा सहिता के नियम-180, 236 एवं उनके पत्नी श्रीमती रीता नारायण के अनुरोध पर उक्त अविनियमित अवधियों को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक

416(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

21/7/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन (नया सचिवालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: मो0 रीता नारायण, पति-स्व0 (डा0) रविन्द्र नारायण, भूतपूर्व, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता-लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी सागर, बावन विगहा, रोड न0-03, दरभंगा, पिन-846004, मो0 नं0 9798059477 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विनोद कुमार पाठक
सरकार के अवर सचिव